

**Compliance Report on behalf of Irrigation Department,
Uttarakhand**

In matter of

Original Application No. 417/2022

Niranjan Bagchi Versus State of Uttarakhand

1. That paragraph No. 2 of the Compliance Report, Nagar Nigam, Dehradun, Respondent No. 4, submitted to the Hon'ble Tribunal on 24.07.2024 stated:

"That in compliance of the aforesaid directions, it is humbly stated that the Irrigation Department is the nodal agency for flood plain zoning. The Irrigation Department has informed Nagar Nigam, Dehradun that the process of flood plain zoning involves six steps out of which the following three steps have been completed:

- i. Data Preparation, Flood Frequency Analysis, Rainfall Analysis & Catchment Delineation*
- ii. Hydrological of Hydraulic flood flows for different return period using HEC-RAS*
- iii. Preparing flood zone maps and reports, ground truth verification has been completed.*

The remaining three steps are in process: -

- iv. Interim Notification and asking for objections and disposal.*
- v. Final notification and marking of flood lines on Sharja Sheets.*
- vi. Installation of pillar at site."*



657

In compliance with the Orders of the National Green Tribunal on 24.07.2024, Interim Notification has been issued by the State Government on 07.10.2024.

The remaining steps are currently in process: -

- i. Asking for objections and public hearing
- ii. Disposal of Objections
- iii. Issuance of Final notification
- iv. Installation of pillar at site.

2. That accordingly, paragraph No. 10 of order dated 24.07.2024 of the Hon'ble Tribunal observed:

"However, for the completion of flood plain zoning in accordance with law, we grant, as a last opportunity, two months further time to State of Uttarakhand and make it clear that in case, the said work is not completed within aforesaid time, this tribunal will have to proceed to take further stringent and punitive action in accordance with the provisions of EP Act, 1986. We also make it clear that in case exercise of flood plain zoning is not completed by next date, Chief Secretary, Uttarakhand shall appear before the Tribunal on the next date."

3. That in compliance to the above order of the Hon'ble Tribunal, a letter was issued from the District Magistrate, who is the Flood Plain Zoning Officer to the Secretary, Irrigation Department, Uttarakhand Government 23rd



August, 2024 in relation to Interim Notification. The contents of the letter are such that:

In reference to the Flood Plain Zoning study conducted by the Irrigation Department, the Uttarakhand Government hereby submitted that the said study has been duly completed. The study identifies properties falling within the 25-year flood frequency zone (prohibited area) and the 100-year flood frequency zone (restricted area). These zones have been delineated and appropriately marked on the relevant Revenue Sajra sheet.

Pursuant to the provisions of the Flood Plain Zoning Act, 2012, a schedule (register) has been prepared by the Revenue Department, enlisting all the assets (properties) situated within the aforementioned 25-year and 100-year flood frequency zones. A proposal for flood plain zoning, including the marking of the designated flood zones on the Revenue map, has been formulated. In this connection, copy of letter dated 23rd August 2024 is being marked and filed as **Annexure No. 01** of this compliance report.

4. That the next requisite step involved the issuance of an interim notification which has been duly issued by the State Government on 7th October 2024 wherein the prohibited and restricted areas, along with a detailed enumeration of the impacted properties are listed. The copy of interim notification issued by the State Government is being marked and filed as **Annexure No. 02** of this compliance report.
5. That, furthermore, a meeting was conducted under the chairmanship of Chief Secretary, Uttarakhand Government for discussion regarding flood plain zoning of Rispana River. The Minutes of the meeting held on



01.10.2024 is being marked and filed as Annexure No. 03 of this compliance report which is self-explanatory.

6. That, Section 12 of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 provides for power to prohibit obstruction etc. in flood plain which says:

"Where the State Government is satisfied that it is necessary to do so in the interest of public health, safety or property or reducing the inconvenience to the general public to prohibit or restrict the activities in the flood plain, the Government may, by notification in the Official Gazette, specify the area where such prohibition or restriction is to be enforced and the nature and extent of such prohibition or restriction:

Provided that no notification under this sub-section shall be issued after the expiry of eighteen months from the date of publication of notification under section 8."

Additionally, Uttarakhand Flood Plain Zoning (Amendment) Act, 2024 in Section 2, amended Section 12 of the 2012 Act as:

"In subsection (1) of section 12 of the Uttarakhand flood Plain Zoning Act, 2012-

- (i) *In proviso, for the words "eighteen months" the words "twenty-four months" shall be substituted.*
- (ii) *After the proviso, the following proviso shall be inserted namely:*

Provided further that, if state Government take decision in public interest, that affected land and existing buildings can be protected by executing riverbank development, the final notification issued

may be amended as per the requirement by following the procedure prescribed under sections 8,9,10 and 11."

7. That in accordance with section 10(1) of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012, a period of sixty days has to be provided for raising objections from the Public. Post which, depending on the number and type of objections raised, the flood plain zoning officer addresses and disposes of the objections. It is anticipated that the disposal of objections will be completed in a one-month time-period. That a tentative timeline is provided in the Status Report relating to the Flood Plain Zoning in the State of Uttarakhand which is as followed:

S.No	Descripti on	Action to be Taken	Tentative timeline	Department
1	Interim notificatio n	Interim notification notified on 7 th October, 2024	-	Government of Uttarakhand
2	Asking for objections	As per sub- section (1) of section 10 of The Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012	15 th December, 2024	District Magistrate

3	Disposal of objections	Disposal of Objections will be completed depending upon the number and type of objections	31 st January, 2025	District Magistrate
4	Re-surveying and Re-demarcating	Re-survey and re-demarcation on Sajra Sheet if objections are justified	28 th February, 2025	Irrigation Department and District Magistrate
5	Final notification	As per the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012	30 th May, 2025	Government of Uttarakhand

In this connection, the Status Report relating to the flood plain zoning work in the State of Uttarakhand, along with the attached tentative timeline for the proposed actions, is being marked and filed as **Annexure No. 04** of this compliance report.

The Irrigation Department will provide all necessary facilities and support to ensure adherence to the timelines and completion of the required



processes under the Flood Plain Zoning Act, in compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal.

The report is being submitted for the perusal of the Hon'ble NGT



प्रेम,

जिलाधिकारी
देहरादून।

सेवा में,

सचिव,
सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन।

संख्या-2219/अ0/वि0स0वे0/FPZ दिनांक 23.08.2024

विषय- रिस्पना नदी के बाढ़ मैदान परिसेत्रण की अधिसूचना निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

दिनांक 23 अगस्त, 2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक अधिराशी अधिन्या, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून के कार्यालय पर संख्या-2219/अ0/वि0स0वे0/FPZ दिनांक 23.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि जल विज्ञान खण्ड, सिंचाई विभाग, बहादुराबाद द्वारा जनपद देहरादून के अन्तर्गत रिस्पना नदी के प्रारम्भिक बिन्दु शिखर फॉल से मोधरोकाला संगम तक बाढ़ मैदानी परिसेत्रण का अम्यजन कार्य पूर्ण करने के उपरान्त उप जिलाधिकारी सदर, देहरादून के द्वारा रिस्पना नदी के बाढ़ परिसेत्रण में आने वाली भूमि के सम्पत्तियों का विवरण एवं राजस्व सजरा सीट पर 25 वर्षीय (प्रतिविद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्षीय (निर्बंधित क्षेत्र) बाढ़ आकृति की सीमाओं का निर्धारण/चित्रांकन के फलस्वरूप सिंचाई खण्ड देहरादून तथा अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून के द्वारा तहसील सदर, देहरादून के अन्तर्गत रिस्पना नदी के प्रारम्भिक बिन्दु शिखर फॉल से मोधरोकाला संगम तक बाढ़ मैदान परिसेत्रण अधिनियम-2012 के अन्तर्गत 25 वर्षीय (प्रतिविद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्षीय (निर्बंधित क्षेत्र) बाढ़ आकृति की सीमा में समस्त वस्तुसम्पत्तियों के पंजिका विवरण की अनुसूची तैयार की गई।

आतः जनपद देहरादून के अन्तर्गत रिस्पना नदी के प्रारम्भिक बिन्दु शिखर फॉल से मोधरोकाला संगम तक बाढ़ मैदानी परिसेत्रण का अम्यजन कार्य पूर्ण करने के उपरान्त उप जिलाधिकारी सदर, देहरादून के द्वारा रिस्पना नदी के बाढ़ परिसेत्रण में आने वाली भूमि के सम्पत्तियों का विवरण एवं राजस्व सजरा सीट पर 25 वर्षीय (प्रतिविद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्षीय (निर्बंधित क्षेत्र) बाढ़ आकृति की सीमाओं का चिह्नित बाढ़ मैदानी परिसेत्रण का प्रस्ताव अनुमोदन के उपरान्त प्रतिविद्ध एवं निर्बंधित जालों को घोषित करने की अधिसूचना जारी किए जाने हेतु प्रस्ताव मय परिसम्पत्तियों का विवरण मूल रूप में संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्नक-संधोपरि।

भवदीया,


(सचिका)
जिलाधिकारी,
देहरादून।





उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई अनुभाग एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग-2
ई0 पत्रायली संख्या-78975
देहरादून, दिनांक: 07 अक्टूबर, 2024

Annexure No. 2
664 (9)

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार जनपद देहरादून के सदर तहसील के अन्तर्गत रिस्पना नदी के तटों पर शिखर फाल से मोथरोवाला संगम तक बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की अधिसूचना अनुसूची एक और दो में उल्लिखित बाढ़ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा का आशय रखती है;

और चूंकि राज्य सरकार को ऐसे क्षेत्रों को बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा बाढ़ मैदान क्षेत्रों को चिन्हित कर उनमें भूमि के उपयोग को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने के आशय की घोषणा अधिसूचना द्वारा कर सकने की शक्ति है;

अतएव, अब, राज्यपाल उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के संलग्नक अनुसूची एक और दो में उल्लिखित बाढ़ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर, भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्रों को भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा सहित इन क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जा सकने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं. क्षेत्र अनुमन्य कार्यों का विवरण

1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु, एलिवेटेड रोड कॉरिडोर के लिए नींव एवं उपसंरचना आदि से सम्बन्धित निर्माण/गतिविधियाँ।

"परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ-साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"

2 निर्बन्धित क्षेत्र पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि के सम्बन्ध में निर्माण/गतिविधियाँ और समय-समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई/स्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल-मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र/परीक्षण उत्तराखण्ड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू-आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1:5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी0 अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीयरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में उच्च बाढ़ तल (High Flood Level) से भवन का न्यूनतम प्लिंथ लेवल (Plinth Level) 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीयरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्तराखण्ड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण

3303 (170)
7/11/24

665

पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

“परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ-साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।”

राज्यपाल, यह भी निर्देश देते हैं कि राज्य सरकार उक्त अधिसूचना के समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन के भीतर हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां एवं सुझाव जिलाधिकारी/बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, देहरादून के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को लिखित रूप में दिए जाने और उन पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा की अंतिम अधिसूचना जारी कर सकेगी।

टिप्पणी- प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्रों का विवरण हितबद्ध व्यक्तियों के निरीक्षण हेतु एनआईसी देहरादून एवं प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून की वेबसाइट के साथ-साथ जिलाधिकारी, देहरादून के कार्यालय में भी उपलब्ध है।

संलग्नक: यथोपरि।

(डा० आर० राजेश कुमार)
सूचिवी

ई० पत्रावली संख्या-76975, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मण्डलायुक्त, गढ़वाल।
2. जिलाधिकारी/बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण प्राधिकारी, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक क्षेत्रीय व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराते हुए उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना से सम्बन्धित विवरण विभागीय वेबसाईट एवं NIC देहरादून की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग (देहरादून)।
5. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग।
6. अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर देहरादून को अधिसूचना की एक साफ्ट कापी इस आशय से प्रेषित कि वे इसे NIC देहरादून की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

[Signature]

(जे०एल० शर्मा)
संयुक्त सचिव।

[Handwritten mark]

उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम-2012 के अन्तर्गत 100 वर्षीय बाढ़ आयुक्ति की सीमा में परिसम्पतियों के स्वामियों की पंजिका विवरण अनुसूची।

666

जनपद देहरादून, तहसील चंदर के अन्तर्गत रिस्पना नदी के तटों पर शिखर पॉल से मोथरोवाला संगम तक।

रिस्पना नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्र की निर्बन्धित (Restricted) क्षेत्रों की अनुसूची-02

क्र0 सं0	ग्राम/मौजा का नाम	खसरा/गाटा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की श्रेणी	खाल खतोनी संख्या	बाढ़ मैदान परिक्षेत्र में सिंचत भूमि की माप/ क्षेत्रफल (है0 में)	विवरण
1.	मकईली	72 (ग)		1-क. सं0 भूमिधर	41	0.0400	
2.		72 (घ)		6.1 जलमग्न	52	0.1300	
3.		73		1. क. सं0 भूमिधर	41	0.0400	
4.		74 (क)		5.3.	46	0.0360	
5.		98 (घ)		5.3.	46	0.0900	
6.		162 (ख)		Non ZA		0.4000	
7.		179		Non ZA		0.2400	
8.		172 (घ)				0.2000	
9.		181		6-1.जलमग्न		0.0600	
10.		Total					1.256
1.	हतटीवाला	16		श्रेणी-15 (जलमग्न)	4 खंक्ट स-1	0.5200	
	Total					0.5200	
1.	दीरगौरवाली	88		श्रेणी-15-1 (जलमग्न)	खता स-10	0.0080	
2.		108			खंक्ट स-1	0.0050	
3.		99		1-क स भूमिधर	16	0.0040	
		Total					0.017
1.	करवान करगपुर	1 (ख)	6.1 जलमग्न	6-(1)	53	0.2340	
2.		7 (ख)	6.1 जलमग्न	6-(1)	53	0.0910	
3.		371 (ख)	6.1 जलमग्न	6-(1)	53	0.0490	
4.		372	6.1 जलमग्न	6-(1)	53	0.2200	
5.		4 (क)	6.1 जलमग्न	6-(1)	53	0.1400	
6.		5 (ख)	5-3 ख जंगल झाड़ी	5-3 ख	50	0.1810	
7.		373 (द)	5-3 ख जंगल झाड़ी	5-3 ख	50	0.0340	
8.		2	6.1 जलमग्न	6-(1)	53	0.1290	
9.		3 मि.	-	श्रेणी-1-क	30	0.0600	
10.		4 क.	-	श्रेणी-1-क	30	0.0590	
11.		3 मि.	-	-	31	0.0910	
12.		12	-	-	26	0.1810	
13.		30	-	-	32	0.0320	
14.		31 क	-	-	14	0.0090	
15.		31 ख	-	-	28	0.0090	
16.		33	-	-	26	0.080	
17.		8 ग	-	श्रेणी-5-3 ख	50	0.3010	
18.		165	-	श्रेणी-5-3 ख	50	0.1000	
19.		Total					2.441
1.	घालंग	1	-	6-1	469	3.000	
2.		654 क	-	5-3-ख	468	1.500	
3.		654 ख	-	1-क	139	0.2000	
4.		655 क	-	5-3-ड	470	0.0720	
5.		656	-	6-1	469	0.040	
6.		658	-	1-क	178	0.0240	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

667

7.		659 क	-	1-क	83	0.0120	
8.		659 ख	-	01	1	0.0080	
9.		661	-	1-क	263	0.0040	
10.		662	-	01	01	0.0160	
11.		667	-	01	01	0.0192	
12.		669	-		121	0.016	
13.		670	-	1 क	263	0.0070	
14.		674	-	1 क	122	0.0070	
15.		675	-	01 श्रेणी	01	0.0060	
16.		676	-	1 क	281	0.0060	
17.		679 क	-	01 श्रेणी	01	0.0120	
18.		680 क	-	01 श्रेणी	01	0.0040	
19.		680 ग	-	1 क	128	0.0040	
20.		681 ग	-	5-3-ड	487	0.0040	
21.		682	-	1 क	121	0.0060	
22.		705	-	1 क	119	0.0640	
23.		725 क मि	-	1 क	119	0.0300	
24.		725 ख मि	-	1 क	151	0.0180	
25.		730	-	5-3-ड	487	0.0090	
26.		737	-	6-1	470	0.0320	
27.		732 क	-	6-1	469	1.760	
28.		732 ख	-	5-3-ड	467	0.0510	
29.		735	-	6-2	472	0.0400	
30.		736	-	6-1	470	0.0150	
31.		727	-	1-क	287	0.0100	
		Total				6.417	
1.	डाकपट्टी	672		6-1-जलमग्न	690	1.7000	
2.		441		6-1-जलमग्न		0.1900	
3.		434		1-क स० मू	80	0.01800	
4.		435		1-क स० मू		0.0100	
5.		436		1-क स० मू		0.0080	
6.		439		1-क स० मू		0.1000	
7.		398		1-क स० मू	32	0.0100	
8.		396		NON ZA	खेवट स-1	0.4900	
9.		440		NON ZA	खेवट स-1	0.0320	
10.			Total				2.556
1.	सरलागाव	285 क मि		श्रेणी-6-1 जलमग्न (नदी रिसमग्न)	742	4400 वर्ग मी० (0. 4400 हे०)	
		Total					0.4400
1.	फिशनपुर	161 घ		6-1-जलमग्न	735	1.0500	
2.		173		5.3-ख-2	730	0.1500	
3.		211 क		5.3.5. बंजर	732	0.2280	
4.		211 ग		6.1. जलमग्न	735	0.0600	
5.		211 ङ		6.1. जलमग्न	734	0.0450	
6.		211 ड		1. क. स० मू	511	0.6320	
7.		211 घ		1. क. स० मू	244	0.7073	
8.		211 च		1. क. स० मू	136	0.0300	
		Total				3.5303	
1.	घोरनखास	1 मि०	-	6-1 श्रेणी	1202	2.1750	
		Total					2.1750
1.	जाखण	885		6-1-जलमग्न	881	0.9000	
2.		989		6-1-जलमग्न	881	0.8600	
3.		1121		6-1-जलमग्न	881	1.3000	
4.		1078		5-3-ड बंजर	878	0.0800	
		Total				2.82	



668


1.	पीडीवाली	93 क मि	-	6-2 श्रेणी	453	3.4950	
2.		94	-	6-2 श्रेणी	453	0.0300	
3.		95	-	6-2 श्रेणी	453		
4.		116 क	-	6-2 श्रेणी	453		
		Total					
1.	कम्बोली	1 रु	जलमन भूमि/वदी	श्रेणी-6-1	1001	3.574	
		Total				2.6995	
1.	अमोईवाला	145 मि	-	6-2	1641	2.0995	
2.			-	1-क	30	0.200 हे० (लगभग)	
3.		160 मि	-	6-2	1641	0.1800 (लगभग)	
4.		161 क ख	-	1-क	1317	0.100 (लगभग)	
5.			-	1-क	2		
6.		162 क	-		37	0.1600 (लगभग)	
7.		ख	-	1-क	377		
8.		ग	-		554		
9.			-		652		
10.			-		653		
11.			-		673		
12.			-		1247		
13.			-		1367		
14.			-		1631		
15.			-		1054		
16.			-		1142		
17.			-		139	0.0800 (लगभग)	
18.		164 क	-	1-क	345, 400		
19.			-		575, 665		
20.			-		638, 669		
21.			-		841, 1053		
22.			-		1490, 371		
23.			-		1130		
24.			-		1631		
25.		27 मि	-	6-2	1641	0.1600 (लगभग)	
26.		28 मि	-		1450	0.500 (लगभग)	
27.			-	1-क	367		
28.			-		780		
29.		28 मि	-	6-1 जलमन	1640	0.3500 (लगभग)	
30.		529 मि	-	6-1 जलमन	1640	1.800 हे० (लगभग)	
31.		110 मि	-	6-2 जलमन	1640	2.900 हे० (लगभग)	
		Total				6.539	
1.	खालनवाला	544 मि		श्रेणी 6-1 जलमन	2033 धर्मपुर	1.800 हे० (लगभग)	
2.		102 मि		श्रेणी 6-1 जलमन	58	0.3200 हे० (लगभग)	
3.		85 मि		श्रेणी 6-1 जलमन	खालनवाला	0.500 हे० (लगभग)	
4.		101 मि		श्रेणी 6-1 जलमन	खालनवाला	0.100 हे० (लगभग)	
5.		102 मि		श्रेणी 6-1 जलमन	खालनवाला	6.400 हे० (लगभग)	
6.		49 मि		श्रेणी 6-1 जलमन	59	0.200 हे० (लगभग)	
7.		2 मि		श्रेणी 6-1 जलमन	58	0.3200 हे० (लगभग)	
		Total				12.12	

1.	धर्मपुर	545 मि		श्रेणी 1-क	20,21.35	0.600 हेठ (लगभग)
2.					41.46	
3.					47.52	
4.					88,137	
5.					160,161	
6.					162,238	
7.					243,205	
8.					361	
9.					363	
10.					459	
11.					481	
12.					5211	
13.					771	
14.					799	
15.					838	
16.					957	
17.					1010	
18.					1160	
19.					1221	
20.					1267	
21.					1321	
22.					1363	
23.					1424	
24.					1431	
25.					1717	
26.					1760	
27.					1804	
					Total	0.600
1.	अजयपुर कला-1	1700 मि	--	6 (1)	3143	1.0932
2.		1392 छ	--	6 (1)	3143	0.0900
3.		1356 छ	--	6 (1)	3143	0.3516
4.		1391 क	--	जनप-15	3143	0.2700
5.		1384 क	--	6 (1)	3143	0.1260
6.		1386 क	--	6 (1)	3143	1.8500
7.		1386	--	6 (2)	3156	0.7040
8.		844	--	6 (1)	3143	0.5310
9.		1374 छ	--	6 (1)	3143	0.1280
10.		1368 क	--	6 (1)	3143	0.0300
11.		1375	--	6 (1)	3143	0.6345
12.		843 क	--	6 (1)	3143	0.7210
13.		844 क	--	6 (1)	3143	0.8800
						Total
1.	अजयपुर कला-2	2135	--	6 (2)	3172	2.895
2.		2149	--	6 (2)	3157	0.2000
3.		2145	--	6 (2)	3157	0.0175
4.		2147	--	6 (2)	3157	0.1800
5.		2148	--	6 (2)	3157	0.0240
6.		2145	--	6 (2)	3157	0.1785
7.		2144	--	6 (2)	3157	0.0066
8.		2143	--	6 (2)	3157	0.0300
9.		1708	--	6 (1)	3143	0.0510
10.		2174	--	6 (1)	3143	1.0800
11.		1706	--	6 (1)	3143	0.1080
12.		1707	--	6 (1)	3143	0.0600
					Total	4.6297
1.	इन्धपुर	38/2 मि	6-(1) पालमग्न भूमि	6-(1)	144	2.7480
					Total	2.7480

not

670

1.	कंदारपुर	335	--	5-3 (र)	802	0.0300	
2.		337	--	6 (1)	801	4.0128	
3.		338	--	5-3 (र)	803		
4.		351	--	6 (1)	801		
5.		398	--	6 (1)	801		
6.		399	--	6 (1)	801	0.8510	
7.		409	--	6 (1)	801	0.2000	
8.		401	--	6 (1)	801	0.0240	
9.		397	--	6 (1)	801	0.0410	
		Total				5.7418	
1.	मैथरीवाला	1239 ख	--	6 (1)	1929	0.2510	
2.		1463 मि	--	6 (1) 5-3-ड	1929, 1923	3.2900	
3.		1240	--	1 क	210	0.1750	
4.		1241	--	1 क	210	0.1050	
5.		1247 ख	--	6 (1)	1929	0.5100	
6.		1261 ख	--	5 (1)	1923	0.1050	
7.		1283	--	5 (1)	1923	0.0960	
8.		1262 ख	--	5 (1)	1923	0.1430	
9.		1329 ख	--	6 (1)	1929	0.2105	
10.		1328 ख	--	1 क	254	0.1320	
11.		1332 मि	--	1 क	1551	0.1550	
12.		1338 मि	--	1 क	1054	0.1120	
13.		1333	--	1 क	437, 1041	0.3145	
14.		1335	--	1 क	1663, 393	0.1540	
15.		1334	--	1 क	393	0.0850	
16.		1449	--	6 (1)	1929	0.2500	
17.		1462	--	6 (1)	1929	0.0510	
18.		1036 क	--	6 (1)	1929	0.0400	
19.		1035 ख	--	5-3-8	--	0.0900	
20.		1034	--	6 (1)	1929	0.3000	
21.		1005	--	6 (1)	1929	0.1200	
22.		1006	--	6 (1)	1929	0.1000	
23.		1007	--	6 (1)	1929	0.9100	
24.		1008	--	6 (1)	1929	0.1020	
25.		1004	--	6 (1)	1929	0.1200	
26.		1003	--	6 (1)	1929	0.0900	
27.		1002	--	6 (1)	1929	0.2509	
28.		836	--	6 (1)	1929	0.0150	
29.		854	--	6 (1)	1929	0.3100	
30.		855	--	6 (1)	1929	0.0610	
31.		852 ख	--	6 (1)	1929	0.2800	
32.		857	--	6 (1)	1929	0.2010	
33.		850	--	6 (1)	1929	0.0800	
34.		851	--	6 (1)	1929	0.0500	
35.		1264	--	6 (1)	1929	0.0410	
36.		849	--	6 (1)	1929	0.0340	
		Total				10.2539	


 (डॉ) आरं राजेश कुमार
 सचिव AP 2024



अधिसूचना संख्या-94 / 2024, ई0पत्रावली संख्या-76975, दिनांक 07 अक्टूबर, 2024
 उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम-2012 के अन्तर्गत 25 वर्षीय बाढ़ आपूर्ति की सीमा में समस्त
 परिसम्पत्तियों के स्वामियों की पंजीकृत विवरण अनुसूची।

671

जलमग्न करदा, तहसील सदर के अन्तर्गत रिस्पना नदी के तटों पर शिखर फॉल से मोथरोवाला संगम तक।
 रिस्पना नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्र की प्रतिषिद्ध (Prohibited) क्षेत्रों की अनुसूची-01

क्र० सं०	ग्राम/नौजा का नाम	खसरा/गादा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की श्रेणी	खाला खण्डों की संख्या	बाढ़ मैदान परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप/ क्षेत्रफल (है० मी)	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मकढ़ैठी	72 (ग)		1-क-स० भूमिधर	41	0.0360	
2.		72 (घ)		जलमग्न 6.1	52	0.1200	
3.		73		1-क-स० भूमिधर	41	0.0360	
4.		74 (क)		5.3-	46	0.0320	
5.		88 (घ)		5.3-	46	0.0820	
6.		162 (ख)		Non ZA	-	0.3600	
7.		179		Non. ZA.		0.2230	
8.		172 (घ)		Non. ZA.		0.1830	
9.		181		जलमग्न	6.1 जलमग्न		0.0720
		Total				1.164	
1.	हलठीयाला	16		श्रेणी-15 (जलमग्न)	4	0.4850	
		Total			खेपट स-1	0.4850	
1.	वीरपीरवाली	98		श्रेणी-15-1 (जलमग्न)	खाला स-10	0.0070	
2.		106		श्रेणी-15-1 (जलमग्न)	खेपट स-1	0.0040	
3.		99		1-क स भूमिधर	16	0.0040	
		Total				0.015	
1.	करवान करनपुर	1 (घ)	6-1 जलमग्न भूमि	श्रेणी-6. (1)	53	0.2110	
2.		7 (ख)	6-1 जलमग्न भूमि	श्रेणी-6. (1)	53	0.0800	
3.		371 (घ)	6-1 जलमग्न भूमि	श्रेणी-6. (1)	53	0.0380	
4.		372	6-1 जलमग्न भूमि	श्रेणी-6. (1)	53	0.2010	
5.		4 (क)	6-1 जलमग्न भूमि	श्रेणी-6. (1)	53	0.1300	
6.		5 (ख)	6-3 ख जंगल झाड़ी	(6-3 ख)	50	0.1710	
7.		373 (क)	5-3 ख जंगल झाड़ी	(5-3 ख)	50	0.0290	
8.		2	6-1 जलमग्न भूमि	श्रेणी-6. (1)	53	0.1290	
9.		3 मि.	-	श्रेणी-1-क	30	0.0600	
10.		4 र.	-	श्रेणी-1-क	30	0.0590	
11.		3 मि.	-	श्रेणी-1-क	31	0.0810	
12.		12	-	श्रेणी-1-क	26	0.1780	
13.		30	-	श्रेणी-1-क	32	0.0320	
14.		31 क	-	श्रेणी-1-क	14	0.0060	
15.		31 ख	-	श्रेणी-1-क	26	0.0060	
16.		33	-	श्रेणी-1-क	26	0.0080	
17.		8 ग	-	श्रेणी-6-3 (घ)	50	0.2700	
18.		165	-	श्रेणी-6-3 (घ)	50	0.0930	
		Total				1.782	

1.	भालग	1	--	6-1	469	2.800	
2.		654 क	--	5-3-ख	405	1.300	
3.		654 ख	--	1-क	139	0.16	
4.		655 क	--	5-3-ड	470	0.06	
5.		656	--	6-1	469	0.0320	
6.		658	--	1-क	178	0.0200	
7.		659 क	--	1-क	83	0.0100	
8.		659 ख	--	01	1	0.0060	
9.		661	--	1-क	263	0.0030	
10.		662	--	01	01	0.0140	
11.		667	--	01	01	0.0160	
12.		669	--		121	0.0140	
13.		670	--	1 क	263	0.0050	
14.		674	--	1 क	122	0.0050	
15.		675	--	01 श्रेणी	01	0.0050	
16.		676	--	1 क	251	0.0050	
17.		679 क	--	01 श्रेणी	01	0.0100	
18.		680 क	--	01 श्रेणी	01	0.0030	
19.		680 ग	--	1 क	128	0.0030	
20.		681 ग	--	5-3-ड	467	0.0030	
21.		682	--	1 क	121	0.0050	
22.		705	--	1 क	119	0.0580	
23.		725 क मि	--	1 क	119	0.0260	
24.		725 ख मि	--	1 क	151	0.0150	
25.		730	--	5-3-ड	467	0.0070	
26.		737	--	6-1	470	0.0300	
27.		732 क	--	6-1	469	1.660	
28.		732 ख	--	5-3-ड	467	0.0580	
29.		735	--	6-2	472	0.0380	
30.		738	--	6-1	470	0.0140	
31.		727	--	1-क	287	0.0080	
		Total				7.0062	
1.	डाकपट्टी	672		6-1-जलमग्न	690	1.6800	
2.		441		6-1-जलमग्न		0.1830	
3.		434		1-क स0 भूमिखर	90	0.0150	
4.		435		1-क स0 भूमिखर		0.0090	
5.		438		1-क स0 भूमिखर		0.0075	
6.		438		1-क स0 भूमिखर		0.0950	
7.		395		1-क स0 भूमिखर	32.	0.0060	
8.		396		NON ZA	खेपट स.-1	0.4900	
9.		440		NON ZA	खेपट स.-1	0.0300	
		Total				2.5065	
1.	सरलानामस	285 क मि		श्रेणी-6-1 जलमग्न (नदी रित्पना)	742	4136 वर्ग मी0 (0. 4136 है0)	
		Total				0.4136	
1.	किशनपुर	161 घ		6-1-जलमग्न	735	1.6300	
2.		173		5.3. ख-2	730	0.1400	
3.		211 क		5.3.5. बंजर	732	0.2200	
4.		211 ग		6-1-जलमग्न	735	0.0670	
5.		211 अ		6-1-जलमग्न	734	0.0410	
6.		211 ड		1. क. स0 भूमिखर	511	0.6120	
7.		211 घ		1. क. स0 भूमिखर	244	0.7000	
8.		211 च		1. क. स0 भूमिखर	136	0.0280	
		Total				3.428	

1.	खोरनवास	1 मि०	—	०-1 श्रेणी	1292	2.0800	
		Total				2.0860	
		886		०-1-जलमग्न	881	0.8360	
		999		०-1-जलमग्न	881	0.5350	
		1121		०-1-जलमग्न	881	1.2100	
4.		1076		०-3-ड बजार	878	0.0560	
		Total				2.637	
1.	पीडोवाली	93 क मि	—	०-2 श्रेणी	453	3.3450	
2.		94	—	०-2 श्रेणी	453	0.0270	
3.		95	—	०-2 श्रेणी	453	0.0140	
4.		116 क	—	०-2 श्रेणी	453	0.0290	
		Total					3.415
1.	कण्डोली	1 ड	जलमग्न भूमि/नदी	श्रेणी-०-1	1001	2.0996	
		Total				2.0995	
1.	अधोईवाला	146 मि	—	०-2	1641	0.1200 (लगभग)	
2.			—	1-क	30		
3.		160 मि	—	०-2	1641	0.1660 (लगभग)	
4.		161 क छ	—	1-क	1317	0.080 (लगभग)	
5.			—	1-क	2		
6.		162 क	—		37	0.1400 (लगभग)	
7.		ख	—	1-क	377		
8.		ग	—		554		
9.			—		852		
10.			—		863		
11.			—		873		
12.			—		1247		
13.			—		1367		
14.			—		1631		
15.			—		1054		
16.			—		1142		
17.			—		139	0.0600 (लगभग)	
18.		164 क	—	1-क	345, 400		
19.			—		575, 555		
20.			—		636, 609		
21.			—		841, 1053		
22.			—		1480, 371		
23.			—		1130		
24.			—		1631		
25.		27 मि	—	०-2	1641	0.1000 (लगभग)	
26.		28 मि	—		1450	0.300 (लगभग)	
27.			—	1-क	357		
28.			—		790		
29.		28 मि	—	०-1 जलमग्न	1640	0.3090 (लगभग)	
30.		529 मि	—	०-1 जलमग्न	1640	1.75 हे० (लगभग)	
31.		110 मि	—	०-2 जलमग्न	1640	2.70 हे० (लगभग)	
		Total				5.725	
1.	धर्मपुर, सालनवाला	102 मि	—	०-1 जलमग्न	58	6.100 हे० (लगभग)	
2.		49 मि	—	०-1 जलमग्न	59	0.1900 हे० (लगभग)	
3.		2 मि	—	०-1 जलमग्न	58	0.2900 हे० (लगभग)	

4.		544 मि	--	1-8 जलमग्न	2033 घर्मपुर	1.7500 रु०	
5.		102 मि	--	1-6 जलमग्न	2033 घर्मपुर	2.5500 रु०	
6.		88 मि	--	1-6 जलमग्न	88 डालनवाला		
7.		101 मि	--	8-1 जलमग्न	58 डालनवाला	0.4500 रु०	
8.					59 डालनवाला		
9.					59 डालनवाला	0.800 रु०	
		Total					
1.	घर्मपुर	545 मि		श्रेणी 1-क	20,21,35	12.12	
2.					41,46	0.5500 रु०	(संगम)
3.					47,52		
4.					88,137		
5.					160,161		
6.					162,238		
7.					243,206		
8.					361		
9.					363		
10.					459		
11.					481		
12.					5211		
13.					771		
14.					1010		
15.				1160			
16.				1221			
17.				1287			
18.				1321			
19.				1363			
20.				1424			
21.				1431			
22.				1717			
23.				1760			
24.				1804			
		Total				0.5500	
1.	अजयपुर कला-1	1700 मि	--	6 (1)	3143	1.0010	
2.		1362 ख	--	6 (1)	3143	0.0850	
3.		1366 क	--	6 (1)	3143	0.3410	
4.		1391 क	--	जलम-15	3143	0.2630	
5.		1384 क	--	6 (1)	3143	0.1200	
6.		1386 क	--	6 (1)	3143	1.8001	
7.		1385	--	6 (2)	3156	0.7000	
8.		844	--	6 (1)	3143	0.5100	
9.		1374 ख	--	6 (1)	3143	0.1200	
10.		1368 क	--	6 (1)	3143	0.0100	
11.		1375	--	6 (1)	3143	0.6300	
12.		843 क	--	6 (1)	3143	0.6210	
13.		844 क	--	6 (1)	3143	0.8100	
14.		Total					6.2441

675

1.	अजयपुर कक्षा-2	2135	-	6 (2)	3172	2.5060	
2.		2149	-	6 (2)	3157	0.1630	
3.		2148	-	6 (2)	3157	0.0100	
4.		2147	-	6 (2)	3157	0.1570	
5.		2148	-	6 (2)	3157	0.0230	
6.		2145	-	6 (2)	3157	0.1700	
7.		2144	-	6 (2)	3157	0.0010	
8.		2143	-	6 (2)	3157	0.0210	
9.		1708	-	6 (1)	3143	0.0410	
10.		2174	-	6 (1)	3143	1.1200	
11.		1706	-	6 (1)	3143	0.0910	
12.		1707	-	6 (1)	3143	0.0320	
		Total				4.424	
1.	इन्धपुर	38/2 मि	6-(1) जलमग्न भूमि	6-(1)	144	2.7480	
		Total				2.7480	
1.	सैदापुर	335	-	5-3 (क)	802	0.0210	
2.		337	-	6 (1)	801	4.0000	
3.		338	-	5-3 (क)	803	0.0120	
4.		361	-	6 (1)	801	0.0200	
5.		398	-	6 (1)	801	0.5300	
6.		399	-	6 (1)	801	0.8100	
7.		400	-	6 (1)	801	0.1600	
8.		401	-	6 (1)	801	0.0100	
9.		397	-	6 (1)	801	0.0400	
			Total				5.6030
1.	मोघरोयाला	1239 ख	-	6 (1)	1929	0.2000	
2.		1463 मि	-	6 (1) 5-3-ड	1929,1923	3.016	
3.		1240	-	1 क	210	0.1600	
4.		1241	-	1 क	210	0.0480	
5.		1247 ख	-	6 (1)	1929	0.0400	
6.		1261 ख	-	5 (1)	1923	0.0500	
7.		1263	-	5 (1)	1923	0.0640	
8.		1262 ख	-	5 (1)	1923	0.0470	
9.		1329 ख	-	6 (1)	1929	0.1340	
10.		1328 ख	-	1 क	254	0.0720	
11.		1332 मि	-	1 क	1551	0.1080	
12.		1336 मि	-	1 क	1054	0.1000	
13.		1333	-	1 क	437,1041	0.2845	
14.		1335	-	1 क	1663,393	0.1410	
15.		1334	-	1 क	393	0.080	
16.		1449	-	6 (1)	1929	0.2500	
17.		1462	-	6 (1)	1929	0.0300	
18.		1036 क	-	6 (1)	1929	0.0400	
19.		1036 ख	-	5-3-ड	-	0.9700	
20.		1034	-	6 (1)	1929	0.3000	

L

ast

21.	1005	-	6 (1)	1929	0.1200	
22.	1006	-	6 (1)	1929	0.0900	
23.	1007	-	6 (1)	1929	0.1100	
24.	1008	-	6 (1)	1929	0.0500	
25.	1004	-	6 (1)	1929	0.1200	
26.	1003	-	6 (1)	1929	0.0900	
27.	1002	-	6 (1)	1929	0.2500	
28.	836	-	6 (1)	1929	0.0150	
29.	854	-	6 (1)	1929	0.0120	
30.	855	-	6 (1)	1929	0.0600	
31.	852 ख	-	6 (1)	1929	0.2200	
32.	857	-	6 (1)	1929	0.1600	
33.	850	-	6 (1)	1929	0.0850	
34.	851	-	6 (1)	1929	0.0450	
35.	1264	-	6 (1)	1929	0.0410	
36.	840	-	6 (1)	1929	0.0340	
	Total				7.5865	

676

(डा० आर० राजेश कुमार),
सचिव।

ash

677

रिस्पना नदी बाड मैदान परिक्षेत्रण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 01.10.2024 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त-

उपस्थिति :-

- (i) श्री नितेश कुमार झा, सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- (ii) डॉ० आर० राजेश कुमार, सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- (iii) श्री नितिन भदीरिया, अपर सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- (iv) श्री जे० एल० शर्मा, संयुक्त सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- (v) श्री जयपाल सिंह, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- (vi) श्री दीपक यादव, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- (vii) श्री जय भारत सिंह, ए०डी०एन०, देहरादून।
- (viii) श्री गौरव कुमार, नगर आयुक्त, देहरादून।
- (ix) श्री शरद श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- (x) श्री आर० सी० गुप्ता, अधीक्षण अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

सर्वप्रथम मुख्य सचिव महोदया से बैठक को प्रारम्भ करने की अनुमति प्राप्त करते हुए, प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में नगर आयुक्त, श्री गौरव कुमार द्वारा मा० एन०जी०टी० में योजित वाद संख्या 417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया एवं अवगत कराया गया कि वाद से सम्बन्धित बिन्दुओं की ए०टी०आर० आगामी तिथि 15.10.2024 को मा० एन०जी०टी० के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। जिस पर मुख्य सचिव महोदया द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

2. सचिव, शहरी विकास विभाग, द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 24.07.2024 को मा० एन०जी०टी० की सुनवाई में बाड मैदान परिक्षेत्रण के अन्तिम अधिसूचना हेतु मा० प्राधिकरण से 06 माह का समय प्रदान किये जाने के अनुरोध के क्रम में मा० प्राधिकरण द्वारा मात्र 02 माह का समय प्रदान किया गया है, जबकि प्रारम्भिक अधिसूचना के उपरान्त जन सुनवाई इत्यादि कार्यवाही को पूर्ण करने के परचात अन्तिम अधिसूचना जारी होने में लगभग 06 माह का समय लगने की सम्भावना है। मुख्य सचिव महोदया द्वारा सिंचाई विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर शपथ पत्र सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन की ओर से मा० प्राधिकरण में दाखिल किये जाने के निर्देश दिये गये।

3. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि रिस्पना नदी के बाड मैदान परिक्षेत्रण की प्रारम्भिक अधिसूचना निर्गत की जानी है, जिस हेतु प्रस्ताव मा० मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदया द्वारा रिस्पना नदी के बाड मैदान परिक्षेत्रण हेतु प्रारम्भिक अधिसूचना निर्गत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर मा० मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन यथाशीघ्र प्राप्त करते हुये, प्रारम्भिक अधिसूचना निर्गत करने तथा प्रारम्भिक अधिसूचना के उपरान्त अन्तिम अधिसूचना के मध्य विभिन्न प्रक्रियाओं को पूर्ण करने में लगने वाले सम्भावित 06 माह की Timeline बनाकर मा० एन०जी०टी० में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

4. प्रमुख अभियन्ता द्वारा मा० प्राधिकरण में योजित उक्त वाद में राज्य सरकार का फल रखने एवं प्रभावी वैरवी करने हेतु एक विशेष अधिवक्ता की आवश्यकता के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। मुख्य सचिव महोदया द्वारा सिंचाई विभाग को विशेष अधिवक्ता को अनुबन्धित करने हेतु अप्रेत्तर कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

5. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि देहरादून शहर की यातायात की समस्या के दृष्टिगत रिस्वना नदी में ऐलिवेटेड रोड निर्मित की जानी प्रस्तावित है। प्रमुख अभियन्ता द्वारा रिस्वना नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्र की अधिसूचना में उल्लिखित अनुमन्य कार्यों में उक्त निर्माण कार्य को भी सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया। मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम, 2012 की मूल भावना का अनुपालन करते हुए तथा नदी की Morphology में किसी प्रकार का व्यकथान/परिवर्तन न हो, के बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य को अनुमन्य कार्यों में सम्मिलित किया जाए।

अंत में बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(डॉ० आरु राजेश कुमार)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग-2

संख्या-104/III(C)/24/E-76975

देहरादून : दिनांक 03 अक्टूबर, 2024

प्रतििलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. मुख्य निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण।
3. कार्यालय प्रति/गार्ड फाईल।

अज्ञा से,


(जे०एस० रामी)
संयुक्ता सचिव



बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के कार्यों का विवरण

679 Background - उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में नदियों के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की व्यवस्था की गई है। उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वर्तमान तक निम्न नदियों के उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण का निर्धारण किया जा चुका है।

Status of Flood Plain Zoning Works in Uttarakhand

Final Notification Has been Issued			Remarks
S. No.	Name of River	Length (Km)	
1	Bhagirathi- Gangotri to Devprayag.	133.35	Final Notification Has been Issued
2	Ganga River- From Devprayag to Kalasia Village in Lakasar Haridwar District	138.00	
3	Bhilangana river	68	
4	Alaknanda River -Badrinath to Devprayag.	198.35	
5	Mandakini River - Kedarnath to Rudraprayag.	76.9	
Total Length		614.60	
Study Work Completed and Notification not issued			
1	Gola- Near Ganrar to State border of Uttrakhand	80	Work of Initial Notification in progress
2	Kosi - Near Kantali to State border of Uttrakhand	176	Study completed, Shajra Marking in Progress
3	Suswa River	131	Work of Initial Notification in progress
4	Song River		Work of Initial Notification in progress
5	Rispana River		Work of Initial Notification in progress
7	Baldi River		Study completed, Shajra Marking in Progress
8	Asan and tributries (Nimi,Nun,swarna Rivers and Sitla Rao)	106	Work of Initial Notification in progress
9	Solani	70	Work of Initial Notification in progress
Total Length		563 Km	

Flood Plain Zoning Study Work Under Progress			
S. No.	Name of River	Length (Km)	Remarks
1	Jhakkan/Ranipokhri	28	Joint Field validation Completed.
2	Chandrabhaga	8	Joint Field validation Completed.
3	Yamuna	145	Joint Field validation Completed.
4	Pindar River	106	Joint Field validation Completed.
5	Dhauliganga River	87	Joint Field validation Completed.
6	Nandakini River	36	Joint Field validation Completed.
7	Malin	3.4	Joint Field validation Completed.
8	Ratnau	42	Joint Field validation Completed.
9	Nandhaur	38	Joint Field validation Completed.
10	Ladhiya	64	Joint Field validation Completed.
11	Ram Ganga W River	114	Joint Field validation Completed.
Total Length		671.4	

रिस्पना नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के कार्यों का विवरण

680


- जनपद देहरादून के अन्तर्गत रिस्पना नदी के आरम्भिक स्थल शिखर फॉल से मोथरवाड़ा नदी के संगम तक बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के सर्वेक्षण का कार्य अधीक्षण अभियन्ता, जल विज्ञान मण्डल, बहादुराबाद के द्वारा चयनित कन्सलटेन्ट Visiontech Consultant Services के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद के द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।
- जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद द्वारा रिस्पना नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के अध्ययन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद द्वारा बाढ़ मैदान परिक्षेत्र में स्थित 25 वर्षीय एवं 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा की तैयारी की गई KML File के अनुसार अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून तथा सिंचाई खण्ड, देहरादून के सहायक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ताओं की उपस्थिति में Visiontech Consultant की टीम द्वारा स्थल पर अस्थाई रूप से Demarcation का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- KML File के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा राजस्व के शजरा सीट पर बाढ़ मैदान परिक्षेत्र में स्थित 25 वर्षीय एवं 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा का निर्धारण/चित्रांकन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- राजस्व के सजरा सीट पर लगाई गई 25 वर्षीय एवं 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा के अनुसार तहसील सदर, देहरादून के द्वारा राजस्व अभिलेखों में अंकित परिसम्पत्तियों के स्वामियों का समस्त विवरण/परिसम्पत्ति पंजिका तैयार की गयी, जिसके आधार पर अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून, सिंचाई खण्ड देहरादून तथा जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद द्वारा बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की अनुसूची तैयार कर जिलाधिकारी/बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी देहरादून को प्रेषित की गयी।
- जिलाधिकारी/बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण प्राधिकारी, देहरादून के द्वारा बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की अनुसूची का अनुमोदन करने के उपरान्त उनके पत्रांक-783/ सी0आर0ए0-2023-2024, दिनांक 23.08.2024 के द्वारा प्रतिषिद्ध एवं निर्बन्धित जोनो को घोषित करने की अधिसूचना जारी किये जाने हेतु प्रस्ताव मय परिसम्पत्तियों का विवरण सचिव सिंचाई, उत्तराखण्ड, शासन को प्रेषित कर लिया गया है।
- बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम-2012 के अध्याय-चार की धारा 8 के अधीन उत्तराखण्ड शासन द्वारा बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण को चिन्हित करने और उनमें भूमि को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की अन्तरिम अधिसूचना शासनादेश सं0-941/II (2)/2024-6(40)/2024, दिनांक 07.10.2024 को जारी की जा चुकी है।
- बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी/जिलाधिकारी देहरादून बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम-2012 के अध्याय-चार की धारा 9 की उपधारा (1), (2) एवं (3) के अधीन अधिसूचना का सांश शार्वजनिक रूप से सूचित करना एवं भू-स्वामियों को अभिलेख, नक्शे, पंजिकाये की जानकारी हेतु कार्यालय में प्रदर्शित करेगें।
- बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम-2012 के अध्याय-चार की धारा 10 के (1), (2) एवं (3) के अधीन बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट परिसीमाओं के प्रतिबन्धो या निर्बन्धो के प्रति आक्षेप हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन की कालावधि की आवश्यकता होगी एवं प्राप्त प्रति आक्षेपों पर विचार करने के उपरान्त बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी प्रस्ताव राज्य सरकार को अग्रसारित करेगें।
- उत्तराखण्ड शासन, सिंचाई अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1407/II-2014/06(103)2013, देहरादून, दिनांक 01.07.2015 (संलग्न) के द्वारा मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव मा0 कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाना है, मा0 कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित होने के उपरान्त उत्तराखण्ड शासन द्वारा अन्तिम अधिसूचना जारी की जायेगी।
- अन्तिम अधिसूचना जारी होने के उपरान्त स्थल पर स्थाई मार्किंग/पिल्लर लगाये जायेगें।

उपरोक्त कार्य की Tentative Time Line निम्नानुसार है।

26

681	Discription	Action Taken	As Per ACT Max. Time Line	Time Line Tentative	Department
1	Data Preparation, Flood Fequency Analysis, Rainfall Analysis & Catchment Delineation	Completed	-	May 2024	Irrigation
2	Hydrological an Hydraulic flood flows for Different return period using HEC-RAS	Completed	-	May 2024	Irrigation
3	Preparing flood zone maps and report preparation, Ground truth verification, Making of Flood Lines as well as on Shajra sheets and Ground also.	Completed	-	23 rd August 2024	Irrigation Department and District Megistrate
4	Interim Notification	Interim Notification Notified on 07 th October 2024	-	-	Govt of Uttarakhand
5	Asking for Objections	As per Sub-Section (1) of Section 10 of The Uttarakhand Flood Plain Zonning Act -2012	60 Days	15 th December 2024	District Megistrate
6	Disposal of Objections	Disposal of Objections will be Completed depending upon number and type of Objections.	-	31 st January 2025	District Megistrate
7	Re-Surveying and Re-demarcading on Sajra Sheet	Re-survey and re-demarcation on Sajra Sheet if Objections are justified.	-	28 th February 2025	Irrigation Department and District Megistrate
8	Final notification	As per The Uttarakhand Flood Plain Zonning (Amendment) Act, 2024.	24 Months	30 th May 2025	Govt. of Uttarakhand

रिपोर्ट सूचनार्थ प्रेषित है।


अधिसासी अभियन्ता
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड
देहरादून


अधीक्षण अभियन्ता
परियोजना मण्डल
देहरादून


मुख्य अभियन्ता स्तर-।
देहरादून